



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:- एफ28(40)परावि/प्रशा.2/ग्राविअ/ज्ञापन/2022-20135/ जयपुर, दिनांक:-यथा हस्ताक्षर

:: आदेश ::

वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332600780 दिनांक 23.06.2026 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में पंचायती राज विभाग (नवगठित पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम पंचायत स्तर) के ग्राम विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पदों का निम्नानुसार सृजन किया जाता है:-

क्रं. सं.	पदनाम	ग्रेड पे	पूर्व में स्वीकृत पद	नव सृजित/ क्रमोन्नत पद	विशेष विवरण
1.	ग्राम विकास अधिकारी	ग्रेड पे-2400 एल-6	10554	3099	नवसृजित 3467 ग्राम पंचायतों पर 1-1 ग्राम विकास अधिकारी के पद स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में 14403 ग्राम पंचायतों हेतु 10554 ग्राम विकास अधिकारी एवं 750 वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी कुल 11304 पद स्वीकृत हैं। अतः 3099 नवीन पद (14403-11304) स्वीकृत किये जाते हैं।
2	वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी	ग्रेड पे-3600 एल-10	750	1250	वर्तमान में ग्रा.वि.अधि. एवं वरि.ग्रा.वि.अधि. के स्वीकृत 11304 पदों एवं नवीन सृजित किये जाने वाले 3099 पदों, कुल 14403 पदों में से पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु 1250 पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के पद में क्रमोन्नत किये जाने की सहमति। विभाग द्वारा बड़ी ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के 2000 पद (750+1250)

उक्त पदों के कार्यालयवार आवंटन की कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग मुख्यालय।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग को उनके आई. डी. क्रमांक 332600780 दिनांक 23.06.2026 के क्रम में।
7. अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव-द्वितीय(जांच) मुख्यालय।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
11. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. आदेश पत्रावली।